टी0ए0 मिस केस सं0 276/2020–21

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
27/01/2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **लादुरा सिंकु**, पिता/पति–**स्व मोरन सिंह सिंकु**, **(मरंग)** ग्राम– **कलाईया**, थाना–कुमारडुंगी, जिला–**पश्चिमी सिंहभूम** चाईबासा ने मौजा–कलाईया, थाना नं०– 292, खाता नं०–205, प्लॉट नं०–2723, रकवा – 0.62 एकड़ भूमि क्रेता **शशि रानी सिंकु** , पिता/पति– **श्री लादुरा सिंकु**, ग्राम–कलाईया, थाना– **कुमारडुंगी**, जिला **प० सिंहभूम** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। **अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया** से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के नाम से नामान्तरण मु0 सं0 28/R-27/20-21 के द्वारा नामान्तरित हैं। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।** अंचल अधिकारी, **हाटगम्हरिया** का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–**244**, दिनांक 06.11. 2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बच्चों की उच्च शिक्षा एवं ऋण चुकाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **शशि रानी सिंकु**, पिता/पति– **श्री लादुरा सिंकु**, ग्राम–कलाईया, थाना– **कुमारडुंगी**, जिला **प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **कुमारडुंगी, थाना** के निवासी है। उक्त दोनों **अनुसूचित जन जाति** के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष **5.00 एकड़** भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति पर्याप्त है। अतः **संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया एवं ग्रामीण मुण्डा** के अनुशंसा के आलोक में आवेदक **लादुरा सिंकु**, पिता/पति–**स्व मोरन सिंह सिंकु,(मरंग)** ग्राम– **कलाईया**, थाना–कुमारडुंगी, जिला पं० सिंहभूम ने क्रेता **शशि रानी सिंकु**, पिता/पति– **श्री लादुरा सिंकु**, ग्राम–कलाईया, थाना– **कुमारडुंगी**, जिला **पं० सिंहभूम** के पास **2,90,000.00 (दो लाख नब्बे हजार) रूपया में मौजा– कलाईया, थाना नं०– 292, खाता नं०–205, प्लॉट नं०–2723, रकवा** – 0.62 **एकड़ भूमि** को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की....अनुमति....दी जाती है। लेखापित 27/01 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 27/01/2021 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा	

//D:/Ranjeet All Work:// 1 TA MISS ORDER

1052

Scanned with CamScanner